इण्डियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक, एम आई रोड शाखा, जयपुर (0158)
11, ऋतुराज बिल्डिंग, एम आई रोड, अमरपुरा दरबार के सामने, जयपुर, राजस्थान-302001, ईमेल: iob0158@iob.in
फ़ोन नंबर: 0141-2371711, 0141-2361710

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का **भौतिक कब्जा** इंडियन ऑवरसीज बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है, जैसी है, और जो कुछ भी है''** के आधार पर बकाया **रू. 34,61,236.12** (रूपये चौंतीस लाख इकसठ हजार दो सौ छत्तीस एवं बारह पैसे मात्र) दिनांक **01.07.2025** तक बकाया एवं **01.07.2025** से अनुबंध की दर पर आगे का ब्याज व लागते पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक की राशि हेतु निम्नलिखित **ऋणीयों/जमानतदारों** से इंडियन ऑवरसीज बैंक, प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु **दिनांक 11.08.2025** को विक्रय किया जायेगा।

क्र.सं.	ऋणी का नाम एवं पुरा पता
1.	**श्री अमित आशीष शर्मा पुत्र श्री आशीष शर्मा; पता 1: फ्लैट नंबर 1004, 10वीं मंजिल, फारकॉन एवेन्यू, गोविंदपुरा बी ब्लॉक करधनी, कालवाड़ रोड़, जयपुर, राजस्थान, पिन 302012, पता 2: मकान नंबर 1193, अर्बन एस्टेट 2, देवता स्वीट्स के पास, हिसार, हरियाणा, 125001**

आरक्षित मूल्य रूपये 42,22,000/- (रूपये बियालीस लाख बाईस हजार मात्र) होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति के सभी अंश व हिस्से जो फ्लैट नंबर 1004, 10वीं मंजिल, फारकॉन एवेन्यू, प्लॉट नंबर 8, गोविंदपुरा, बी ब्लॉक, करधनी, कालवाड़ रोड़ में स्थित जो उप-जिला जयपुर और जिला जयपुर, राजस्थान के भीतर पंजीकरण है। सीमाएं: उत्तर में: गलियारा, दक्षिण में: आकाश की ओर खुला, पूर्व में: फ्लैट नंबर 1003, पश्चिम में: सीढ़ियाँ।

*स्थानीय स्वशासन (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल आदि) का बकाया– बैंक को ज्ञात नहीं है।
*बैंक के बकाया को वैधानिक बकाया से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

ई-नीलामी की तिथि और समय: दिनांक 11.08.2025 को दोपहर 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य (प्रत्येक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित बिक्री पूरी होने तक) नीलामी प्लेटफार्म https://www.baanknet.com
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेवा प्रदाता का पोर्टल www.baanknet.com या बैंक की वेबसाइट https://www.iob.in देखें।

स्थान: जयपुर
तारीख: **03.07.2025** प्राधिकृत अधिकारी

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के अंतर्गत उक्त ऋण के ऋणियों और जमानतदारों को उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी आयोजित करने के बारे में एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **हरीश कुमार (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी), सीमा तनेजा (सह-उधारकर्ता, पत्नी और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा की कानूनी उत्तराधिकारी), सुरेश कुमार तनेजा (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनीउत्तराधिकारी) कौशल कुमार उर्फ कौशल तनेजा (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी), मीना तनेजा, अनीता तनेजा और नीरू तनेजा** को **09.04.2025** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPHDW00177228** की राशि **रू. 70,29,546.05 (रूपये सत्तर लाख उनतीस हजार पाँच सौ छियालीस और पाँच पैसे मात्र)** और **09.04.2025** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **02.07.2025** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 70,29,546.05 (रूपये सत्तर लाख उनतीस हजार पाँच सौ छियालीस और पाँच पैसे मात्र) 09.04.2025** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का पता 1 और 2:

तल मंजिल पर निर्मित संपत्ति,जिसका जमीन क्षेत्र 213.5 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 14 फीट, उत्तर और दक्षिण: 15.3 फीट) और दुकान के अंदर हॉल, माप क्षेत्र 615 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 14.2 फीट, उत्तर और दक्षिण: 43.6 फीट), खसरा नं. 2770, खेवट नं. 98, महल गैरदाईयां, रेलवे रोड में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, कराछ, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : रेलवे रोड | पश्चिम : जितेन्द्रपाल सिंह और गुरदीप कौर की संपत्ति
उत्तर : शेर सिंह की संपत्ति | दक्षिण : 12 फीट सड़क

संपत्ति 3:

सभी संपत्ति/जमीन माप क्षेत्र 400 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 20 फीट, उत्तर और दक्षिण: 20 फीट), खसरा नं. 2770, खेवट नं. 98 , मोहल्ला कराछ में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : शेर सिंह एवं विजय पाल की जमीन | पश्चिम : 12 फीट चौड़ी सड़क
उत्तर : 12 फीट चौड़ी सामान्य सड़क | दक्षिण : विक्रेता की जमीन

संपत्ति 4:

संपूर्ण संपत्ति/जमीन माप क्षेत्र 320 स्क्वे. फीट, (पूर्व एवं पश्चिम: 16 फीट, उत्तर एवं दक्षिण 20 फीट), खसरा नं. 2770 के साथ, खेवट नं. 98, मोहल्ला कराछ में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, हरिद्वार- 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : शेर सिंह एवं विजय पाल की भूमि | पश्चिम : 12 फीट चौड़ी सड़क
उत्तर : हरीश तनेजा की जमीन | दक्षिण : विक्रेता की ज़मीन
कुल ज़मीन क्षेत्र 1548.5 स्क्वे. फीट

सही/-
दिनांक : 02.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : हरिद्वार **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **हरीश कुमार (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी) सुरेश कुमार तनेजा (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी), कौशल कुमार उर्फ कौशल तनेजा (सह-उधारकर्ता, भाई और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी),सीमा तनेजा (सह-उधारकर्ता, पत्नी और साथ ही स्वर्गीय महेश तनेजा की कानूनी उत्तराधिकारी), हिमांशु तनेजा (सह-उधारकर्ता, पुत्र और स्वर्गीय महेश तनेजा के कानूनी उत्तराधिकारी), मीना तनेजा, अनीता तनेजा और नीरू तनेजा** को **09.04.2025** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPHDW00241498** की राशि **रू. 44,14,637.97 (रूपये चौवालीस लाख चौदह हजार छह सौ सैंतीस और सत्तानवे पैसे मात्र)** और **09.04.2025** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **02.07.2025** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 44,14,637.97 (रूपये चौवालीस लाख चौदह हजार छह सौ सैंतीस और सत्तानवे पैसे मात्र) 09.04.2025** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का पता 1 और 2:

तल मंजिल पर निर्मित संपत्ति,जिसका जमीन क्षेत्र 213.5 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 14 फीट, उत्तर और दक्षिण: 15.3 फीट) और दुकान के अंदर हॉल, माप क्षेत्र 615 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 14.2 फीट, उत्तर और दक्षिण: 43.6 फीट), खसरा नं. 2770, खेवट नं. 98, महल गैरदाईयां, रेलवे रोड में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, कराछ, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : रेलवे रोड | पश्चिम : जितेन्द्रपाल सिंह और गुरदीप कौर की संपत्ति
उत्तर : शेर सिंह की संपत्ति | दक्षिण : 12 फीट सड़क

संपत्ति 3:

सभी संपत्ति/जमीन माप क्षेत्र 400 स्क्वे. फीट, (पूर्व और पश्चिम: 20 फीट, उत्तर और दक्षिण: 20 फीट), खसरा नं. 2770, खेवट नं. 98 , मोहल्ला कराछ में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, हरिद्वार - 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : शेर सिंह एवं विजय पाल की जमीन | पश्चिम : 12 फीट चौड़ी सड़क
उत्तर : 12 फीट चौड़ी सामान्य सड़क | दक्षिण : विक्रेता की जमीन

संपत्ति 4:

संपूर्ण संपत्ति/जमीन माप क्षेत्र 320 स्क्वे. फीट, (पूर्व एवं पश्चिम: 16 फीट, उत्तर एवं दक्षिण 20 फीट), खसरा नं. 2770 के साथ, खेवट नं. 98, मोहल्ला कराछ में स्थित, ज्वालापुर, अहमदपुर, हरिद्वार- 249407, उत्तराखंड, जो इस प्रकार परिबध्द है–

पूर्व : शेर सिंह एवं विजय पाल की भूमि | पश्चिम : 12 फीट चौड़ी सड़क
उत्तर : हरीश तनेजा की जमीन | दक्षिण : विक्रेता की ज़मीन
कुल ज़मीन क्षेत्र 1548.5 स्क्वे. फीट

सही/-
दिनांक : 02.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : हरिद्वार **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई– 400 063 भारत

श्री नवमीत बंसीवाल **अधिग्रहण सूचना** **संदर्भ सं.: APPL00009923**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **माँग सूचना (विवरणों को विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित किया गया है, यहाँ इसमें इसके उपरौंत माँग सूचना)** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 उप–धारा 2 के अंतर्गत निर्गत की गयी थी, जिसमें **उधारकर्ता(ओं) (विवरण विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित हैं, यहाँ इसमें इसके उपरांत उधारकर्ता(गण))** को **माँग सूचना** में अंकित राशि का ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत ब्याज एवं भावी भावी ब्याज के साथ, आगे की माँग सूचना की तिथि से एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक, निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ (यहाँ इसमें इसके उपरांत देय राशि), का माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि **उधारकर्ता(गण) तथा सह–उधारकर्ता(गण)** उक्त बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों (माँग सूचना के अंतर्गत परिभाषितानुसार) का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नॉंकित तिथि को, **साँकेतिक अधिग्रहण** कर लिया है।

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **एक बकाया राशि** (विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नॉंकित) तथा ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, **एआरजीएफएल** द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ, हेतु **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : श्री नवनीत बंसीवाल, फ्लैट नं. 802, 8वां मंजिल, टॉवर नं. बी–04 एम3एम वूड शाएर सेक्टर–107 धर्मपुर गुरुग्राम : 122006, हरियाणा

सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : श्रीमती शिप्ला आनंद, फ्लैट नं. 802, 8वां मंजिल, टॉवर नं. बी–04 एम3एम वूड शाएर सेक्टर–107 धर्मपुर गुरुग्राम : 122006, हरियाणा

लागू अनुसार भावी ब्याज के साथ माँग सूचना के अनुसार बकाया देयराशि :– रु. 39,89,921/– (रुपये उनतालीस लाख नवासी हजार नौ सौ इक्कीस मात्र)

माँग सूचना की तिथि : 23 अप्रैल 2025

ऋण अनुबंध संख्या : APPL00009923

अधिग्रहण की तिथि : 3 जुलाई 2025

आरओआई	13.00%
बकाया मूलधन	37,49,604
लंबित ईएमआई राशि	1,95,100
खंडित अवधि ब्याज	12,186
अति देय ब्याज	12,931
विधिक शुल्क	10,000
सूचना शुल्क	1,100
ईएमआई बाउंस शुल्क	9,000
कुल बकाया	**39,89,921**

संपत्ति का पता : आवासीय फ्लैट नं. 802 का बंधक जो 8वें मंजिल, पर, टॉवर नं. बी–4, कॉर्पेट क्षेत्राधिमापन 82.40 वर्ग मीटर (886.95 वर्ग फुट) तथा अधि क्षेत्र 142.51 वर्ग मीटर (1534 वर्ग फुट) है, ग्रुप हाउसिंग जिसे एम3एम वूडशाएर के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम धर्मपुर की राजस्व संपदा, सेक्टर– 107, गुरुग्राम, गुड़गाँव, हरियाणा– 122003 में स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व :** यूनिट नं. 03, **पश्चिम :** टॉवर–बी5, **उत्तर :** लैंडस्केप, **दक्षिण :** यूनिट नं. 01

दिनाँक : 3 जुलाई 2025 **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई– 400 063 भारत

मैसर्स दीपक टेक पैक **अधिग्रहण सूचना** **संदर्भ सं.: APPL00009653**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **माँग सूचना (विवरणों को विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित किया गया है, यहाँ इसमें इसके उपरौंत माँग सूचना)** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 उप–धारा 2 के अंतर्गत निर्गत की गयी थी, जिसमें **उधारकर्ता(ओं) (विवरण विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित हैं, यहाँ इसमें इसके उपरांत उधारकर्ता(गण))** को **माँग सूचना** में अंकित राशि का ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत ब्याज एवं भावी भावी ब्याज के साथ, आगे की माँग सूचना की तिथि से एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक, निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ (यहाँ इसमें इसके उपरांत देय राशि), का माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि **उधारकर्ता(गण) तथा सह–उधारकर्ता(गण)** उक्त बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों (माँग सूचना के अंतर्गत परिभाषितानुसार) का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नॉंकित तिथि को, साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **एक बकाया राशि** (विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नॉंकित) तथा ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, **एआरजीएफएल** द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ, हेतु **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : मैसर्स दीपक टेक पैक, सेक्टर–45, भूखण्ड सं. 25 एवं 26, जिम खाना क्लब के समीप, जोतिंद्रा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के पीछे, फरीदाबाद : 122001

सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : 1. श्री दीपक कुमार ओझा, 2. श्रीमती सृष्टि भारद्वाज, टॉवर 3, 15 बी जोन पार्क अपार्टमेंट्स, सेक्टर 86, खेरिकालनं, फरीदाबाद : 122001

लागू अनुसार भावी ब्याज के साथ माँग सूचना के अनुसार बकाया देयराशि :– रु. 48,65,473/– (रुपये उनतालीस लाख पैंसठ हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)

माँग सूचना की तिथि : 23 अप्रैल 2025

ऋण अनुबंध संख्या : APPL00009653

अधिग्रहण की तिथि : 3 जुलाई 2025

आरओआई	13.00%
बकाया मूलधन	45,81,340
लंबित ईएमआई राशि	2,37,045
खंडित अवधि ब्याज	14,889
अति देय ब्याज	10,889
विधिक शुल्क	16,500
सूचना शुल्क	1,100
ईएमआई बाउंस शुल्क	3,710
कुल बकाया	**48,65,473**

संपत्ति के विवरण : यूनिट नं. बी का बंधक जो 15वें तल पर, टॉवर– 3, ''दि ओजोन पार्क अपार्टमेंट्स'' ग्राम बसेल्वा, तिगाँव मार्ग, सेक्टर– 86, तहसील एवं जनपद– फरीदाबाद, हरियाणा : 121002 में स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर :** खुला / पार्क, **दक्षिण :** प्रवेश / उपमार्ग / फ्लैट 15 सी, **पूर्व :** खुला / सड़क, **पश्चिम :** लिफ्ट।

दिनाँक : 3 जुलाई 2025 **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500, **फैक्स नं.** : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com, **वेबसाइट** : www.hbstockholdings.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

प्रिय सदस्यगण,

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), **शनिवार, 02 अगस्त, 2025 को पूर्वा. 11.00 बजे**, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 तथा नवीनतम 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर /पी/ 2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर, 2023 तथा नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 03 अक्टूबर, 2024 (एतद्पश्चात सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

उपरोक्त परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में, 38वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.hbstockholdings.com**, स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा और एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, वे एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 और ई–वोटिंग के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं :

भौतिक धारण	कृपया एक अनुरोध पत्र, फोलियो नंबर, सदस्य के नाम के उल्लेख के साथ शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड तथा सदस्य के पता प्रमाण की स्व सत्यापित स्कैन प्रति सहित कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटी